

FORM-X

**FORM OF NOTICE FOR COMMENCEMENT OF WORK
(TO BE FURNISHED BY THE PLOT OWNER(S) AND THE BUILDER/DEVELOPER)
BYE LAWS NO. -8(6)(F), 10**

From

M/S DEEP SHEETAL ENGINEERS PVT.LTD.
DIRECTOR- SRI NEERAJ KUMAR
3RD FLOOR, S.S FURNITURE MALL,BAILEY ROAD
THANA - RUPASPUR,DANAPUR,PATNA
(Name and address of the application in block letter)

To

EXECUTIVE OFFICER
NAGAR PARISHAD DANAPUR NIZAMAT,
DANAPUR,PATNA

Sir,

I/We hereby give notice of the erection of building in with respect of plot Plot No - 2192, Khata No-87, Holding No. Village JAMSAUT, (B+G+7) Mohalla -R.K.PURAM./ Ward No.-11,Thana No.-30, Municipal Corporations/Municipal Council/Nagar Panchayats/ Metropolitan area/ planning Area Under NAGAR PARISHAD DANAPUR NIZAMAT,DANAPUR ,PATNA Planning Authority/ Gram Panchayat areas covered Under NAGARPARISHAD DANAPUR NIZAMAT,DANAPUR Development Plan/Planning Authorities/ or Planning Scheme notified under Bihar Urban Planning and Development Act 2012 within the development plan area of to be commenced on 03 JULY 2024 as per the permission given in your letter no118/23-24 dated 06.03.2024 Under the supervision of authority empanelled Architect/ Engineer/ Structural Engineer - VIJAY KUMAR Regd. No - BR/UDHD/SE/23-0077 in accordance with the Approved plan.



Yours faithfully,
Deep Sheetal Engineers Pvt. Ltd.

Neeraj Kumar
Director

Signature(s) of the Owner
BR/UDHD/BLDR/23-0355

Deep Sheetal Engineers Pvt. Ltd.

Neeraj Kumar
Director

फारम-VIII- क
कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 142 तिथि-09.02.2024 के संदर्भ में

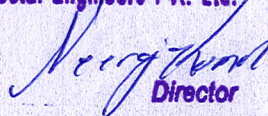
मेसर्स दीप शीतल इंजीनियर्स प्रा० लि०, निदेशक-श्री नीरज कुमार, पिता-स्व० बिन्देश्वर प्रसाद सिन्हा, भूस्वामि-श्रीमती संगीता कुमारी, पति-स्व० कपिल मुनी सिंह, पता-तीसरी मंजिल, एस०एस० फर्नीचर मॉल, बेली रोड, थाना-रूपसपुर, पत्रालय-दानापुर, जिला-पटना।

- ✓ (क) आवासीय भवन के निर्माण
- ✓ (ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण (सुविधा दूकान)
- (ग) भवन के पुनःनिर्माण
- (घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन
- (ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद दानापुर शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के/142...प्लॉट नं०- 2192, खाता नं०- 87, तौजी नं०-5171, थाना नं०-30, मौजा-जमसौत, पता-वार्ड नं०-11, थाना-दानापुर, जिला-पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं०-... 118.../23-24 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल- 3718.17 वर्ग मीटर एवं B+G+7 की स्वीकृति दी जाती है:-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय-सह-व्यवसायिक (सुविधा दूकान) प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकासपूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 945.83 वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि औसत 15.24 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़कको मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या विहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ पटना महायोजना 2031 में प्रभावित रकबा (पटना महायोजना 2031 में) क्षेत्र में 00.00 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
- (ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

Deep Sheetal Engineers Pvt. Ltd.


Director

- (झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- (ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
- (ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- (ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।
- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं सी0सी0टी0भी0 कैमरे का अनिवार्यरूप से भवन में अनुपालन करना होगा।
- (थ) भविष्य में अगर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / श्रम संसाधन विभाग / आयकर विभाग / अन्य किसी विभाग द्वारा किसी प्रकार का कर / शुल्क लगाया जाता है तो उसका भूगतान आपके द्वारा देय होगा।
- (द) नगर परिषद दानापुर निजामत को कभी भी कोई नियम / शर्त लगाने तथा बिहार भवन उपविधि 2014/2022 (यथा संशोधित) के अधिन स्वीकृत नक्शों को संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (थ) अन्य शर्त

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007, बिहार भवन उपविधि 2014/2022(यथा संशोधित) के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

ज्ञापांक:-...118...../दिनांक:-...06/03/2024

प्रतिलिपि:- मेसर्स दीप शीतल इंजीनियर्स प्रा0 लि0, निदेशक-श्री नीरज कुमार, पिता-स्व0 बिन्देश्वर प्रसाद सिन्हा, भूस्वामि-श्रीमती संगीता कुमारी, पति-स्व0 कपिल मुनी सिंह, पता-तीसरी मंजिल, एस0एस0 फर्नीचर मॉल, बेली रोड, थाना-रूपसपुर, पत्रालय-दानापुर, जिला-पटना I, मो0 नं0- 7488041647 को सूचनार्थ प्रेषित।

Deep Sheetal Engineers Pvt. Ltd.

Neeraj Kumar
Director

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत